लघु उद्योग क्षेत्र
परिदृश्य और स्थिति

सहस्त्राब्दि के मिशन को साकार करने के लिए लघु उद्योग नीति

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नीति निर्माता के रूप में सरकार को दूर-दूर तक फैली गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के साथ-साथ तीव्र गति से प्रगति करने के दो विचारों को क्रमिक और तालमेलपूर्ण रूप देना था ताकि लाखों भारतीयों को अच्छा जीवन स्तर देने के आशय से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके, जैसा कि एक कल्याणकारी राज्य में इच्छा रखी जाती है। आर्थिक विकास की नीति तैयार करते समय 'सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक संवृद्धि' के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था। उद्योगों के विकास और संवृद्धि को आर्थिक नीति के एक स्तम्भ के रूप में अपनाया गया था क्योंकि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भारत में मुख्यतया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई नीति में उद्योग के बड़े और छोटे क्षेत्रों द्वारा निभाई जानेवाली अनुपूरक भूमि के बीच सन्तुलन बिठाने की कोशिश की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आ रही गरीबी और बेरोजगारी की दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योग के क्षेत्र के विकास को अनिवार्य समझा गया था क्योंकि इससे श्रम से परिपूर्ण परन्तु पूंजी के अभाव से ग्रस्त देश में कम निवेश के साथ भारी पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी। श्रम से जुड़े होने के कारण लघु उद्योगों में स्थानीय संसाधनों और कुशलताओं के अधिकतम उपयोग, विकेन्द्रीकरण, उद्यमियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए इक्विटी, लोचनीयता, क्षमता की सकारात्मक सम्भावनाएँ थीं।

केन्द्र में आई विभिन्न सरकारों द्वारा पारित 6 औद्योगिक नीति संकल्पों का लक्ष्य औद्योगिक संवृद्धि को बढ़ाना और राज्य हस्तक्षेप और सहायता की रूपरेखा निर्धारित करना था। पहले औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 की रूपरेखा ने लघु उद्योगों को प्रमुख भूमिका दी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कुछ किस्म के औद्योगिक सामान के लिए स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय स्व-पर्याप्तता की उपलब्धि के लिए लघु उद्योग विशेष रूप से उपयुक्त थे। कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योग को समर्थन देने की नीति ने 1956 में उस समय एक निश्चित रूप पाया जब सरकार ने लघु और ग्रामीण उद्योगों की प्रतियोगी ताकत को बनाने के लिए उपाय करने का निर्णय लिया। 1956 के दूसरे औद्योगिक नीति संकल्प ने वह भूमिका प्रदान की जो लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय कौशल और पूँजीगत संसाधनों को जुटाने तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में निभा सकते थे।

क्षेत्र को और गति 1977 के औद्योगिक नीति के उस वक्तव्य में प्रदान की गई जिसने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में कुटीर और छोटे उद्योगों के व्यापक प्रसार पर बल दिया। जिला उद्योग केन्द्रों की अवधारणा भी सामने लाई गई ताकि एक छत के नीचे लघु उद्योगों को सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य ने क्षेत्र के विकास के लिए सहायता देने और छोटी इकाइयाँ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि 1990 के वक्तव्य में कुल निर्यात, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और उद्योगों के प्रसार में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने पर बल दिया।

1991 में तेजी से एक के बाद एक घोषित औद्योगिक नीति के द्वारा लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और उन्हें मजबूत करने पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त, निवेश सीमाओं, इक्विटी भागीदारी आदि में परिवर्तनों को लागू करने के अलावा राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता से लघु उद्योगों के लिए समेकित आधारभूत संरचना विकास की एक नई योजना आरम्भ की गई थी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए सकारात्मक भूमिका रखी गई।

लघु क्षेत्र के हितों की संरक्षा और उसके तीव्र विकास को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी नीति के अनुसरण में समय-समय पर विभिन्न सहायक उपाय आरम्भ किए जिनमें आरक्षण की नीति, निवेश सीमा में संशोधन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन, विपणन सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। उदारीकरण और प्रतियोगी आर्थिक क्रिया-कलापों

की बदली हुई परिस्थितियों में बनते हुए आर्थिक परिदृश्य ने अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत ढाँचे में संरचनात्मक और आधारभूत परिवर्तनों को स्थान देना आवश्यक बना दिया है। तदनुसार, 'संरक्षण' 'संवर्धन' में परिवर्तत हो गया है। सुधार-पक्ष अवधि में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें आंशिक रूप से आरक्षण हटाना, निवेश सीमा में परिवर्तन, विदेशी सहयोग को आसान बनाना, संवृद्धि केन्द्रों की स्थापना, निर्यात संवर्धन, विपणन सहायता और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र ने देश की बदली हुई उदारीकृत आर्थिक परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता सिद्ध की है। अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए अपेक्षित कार्यवाही ने इस क्षेत्र के कामकाज को प्रभावित किया है और साथ ही नए अवसर और चुनौतियाँ भी दी हैं। आज की आवश्यकता नि:सन्देह चुनौतियों को अवसरों में बदलने और नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में इकाइयों को मजबूत करने के लिए उचित उपाय करके इकाइयों को स्थायित्व प्रदान करना है।

लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार और ध्यान दे सके इसलिए 14 अक्तूबर, 1999 को एक राज्य मन्त्री के स्वतन्त्र प्रभार में एक नया लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय बनाया गया। विकास नीति को दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री ने 'सहस्राब्दि के लिए मिशन' की घोषणा की जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र में सुविधाओं, नई नीति संरचना तैयार करने, बेहतर ऋण उपलब्ध कराने, बेहतर आधारभूत संरचना और आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को गति दिए जाने पर विशेष बल दिया गया। मिशन में सूचना प्रौद्योगिकी, सनराइज उद्योग, हाई-टेक उद्योग, निर्यात क्षमता उद्योग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का विशेष उल्लेख किया गया और साथ ही ऐसे अति लघु और माइक्रो उद्योगों, जो देश में कुल लघु औद्योगिक इकाइयों के 95% से अधिक थे, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपायों को ध्यान में रखा गया।

सितम्बर, 2001 में स्थानीय कच्चे माल, योग्यता और प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने के आशय से अलग से एक कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय सृजित किया गया।

लघु उद्योग क्षेत्र के विकास और संवृद्धि को ध्यान में रखकर बनाई गई सभी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण इसने 'सहस्राब्दि का संवृद्धि क्षेत्र' नाम अर्जित किया। इस उपाधि को पाने के लिए और इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई सहस्राब्दि के लिए सहस्राब्दि मिशन के रूप में मार्गदर्शक नीतिगत सिद्धान्तों के साथ एक 'विजन स्टेटमेंट' तैयार किया गया है।

सहस्राब्दि के लिए लक्ष्य

लघु और ग्रामीण उद्यमों के लिए रूपरेखा

नीति

वैश्वीकरण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ नीति वातावरण तैयार करना। उपायों में शामिल हैं—

- राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्डों का गठन।
- अति लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए पृथक नीति।
- अनुषंगी इकाइयों के लिए उच्चतर निवेश सीमा।
- उच्च निर्यात सम्भावना वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबन्ध।
- मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विशेष बल।
- प्रतियोगिताको बढ़ावा देने के लिए आरक्षण नीति संकेंद्रित करना।
- उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में लघु और ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए विशेष पैकेज।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से अतिरिक्त संसाधन, प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबन्ध प्रैक्टिस प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक साधन के रूप में प्रोत्साहित करना। शामिल किए जानेवाले उपाय—

- भारतीय शेयर होल्डरों के पास प्रबन्ध नियन्त्रण को देखते हुए विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा को बढ़ाना।
- बढ़ी हुई इक्विटी पूँजी में ही 'ऑटोमैटिक रूट' के अन्तर्गत लघु क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का नियोजन।

औद्योगिक विधान

सरल बनाना। तत्काल शामिल किए जानेवाले उपाय—

- लघु उद्योग इकाइयों के लिए एकल व्यापक विधान अनुशंसित करने के लिए हाई पावर कमेटी।
- स्व: घोषणा और उत्तरलेखा-परीक्षा के आधार पर निरीक्षण प्रक्रिया का सरलीकरण।
- उभरती हुई चुनौतियों के सन्दर्भ में कॉयर बोर्ड अधिनियम और के. वी. आई. सी. अधिनियम की पुनरीक्षा।

प्रशासनिक स्थापना

अधिक अनुकूल बनाने के लिए मौजूदा मशीनरी के कार्य को पुन: परिभाषित करना। शामिल करनेवाले उपाय—

- सीडो और लघु उद्योग सेवा संस्थानों के लिए सर्वोचित संगठनात्मक ढाँचे की सिफारिश करने के लिए हाई पावर कमेटी।
- लघु और ग्रामीण उद्यम विकास कार्यक्रमों में लघु उद्योग संस्थाओं और एन.जी.ओ. की भागीदारी के लिए तन्त्र।

साख

निम्नानुसार क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करना—

- क्रेडिट गारंटी योजना (स्कीम)।
- सूक्ष्म, अतिलघु और लघु उद्यमों के लिए बैंक क्रेडिट के प्रवाह की निशानदेही।
- लघु उद्योग इकाइयों की क्रेडिट रेटिंग के लिए स्कीम।
- गारंटीयुक्त ऋणों की सुरक्षा की सम्भावनाओं का पता लगाना।
- व्यवहार्य राज्य वित्तीय निगमों को मजबूत बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाना।
- केवल लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए पूँजी निधियों और फैक्टरिंग सेवाओं को बढ़ाना।

विलम्बित भुगतान

निम्नानुसार समय पर भुगतान को सरल बनाना—

- विलम्बित भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज को परिलक्षित करने के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीटों में अनिवार्य सूची।
- विलम्बित भुगतानों के विवादों को सुलझाने के लिए उद्योग सुविधा परिषदों सहित राज्य स्तर पर विशेष क्रियाविधियाँ।

रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना

निम्नानुसार औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं के निराकरण के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे का निर्धारण—

- रुग्ण इकाइयाँ को समय पर अभिनिर्धारित और पुन:स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय अन्त:संस्थानिक समितियों (एस एल आई आई सी) को मजबूत बनाना।
- जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों को प्रस्तुत करने की सम्भावनाओं का पता लगाना।
- वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लघु उद्योग देयताओं की वसूली सुकर बनाने के लिए ऋण-वसूली ट्रिब्यूनलों को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाना।

प्रौद्योगिकी विकास

लघु उद्योगों को बहुआयामी दृष्टिकोण व निम्न के साथ-साथ आधुनिक बनाना—

- उच्च निर्यात सम्भावनाओं वाले चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आधुनिकीकरण योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय योजना।
- अनुसन्धान और विकास संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रौद्योगिकी बैंक और उपभोक्ता समूहों के बीच सेतु बनाने की अनुशंसा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति।
- प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना की सम्भावना और कवरेज का विस्तार।
- परीक्षणों के लिए मानकों का निर्धारण।
- लघु नवाचारों के लिए उपयोगिता पेटेंट संरक्षा (यूटिलिटी पेटेंट प्रोटेक्शन) लाने के लिए प्रयास।

बाजार

निम्नानुसार व्यापक बाजार समर्थन को बढ़ाना—

- उप-संविदा संवर्धन नीति।
- लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के बीच सम्पर्क बनाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम।
- ग्रामीण बाजार के लिए बल।
- बाजार निवेश, ब्रांड संवर्धन और विदेशी बाजार पहुँच के लिए व्यापक नीति।

वित्तीय व्यवस्था

निम्नानुसार एक समुचित वित्तीय वातावरण तैयार करना—

- लघु उद्योगों के लिए कर और प्रशुल्क को युक्ति-संगत बनाना।
- विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सहायता (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना।
- लघु उद्योगों के लिए विश्व व्यापार संगठन सुग्राही कार्यक्रम आयोजित करना।

ग्रामीण उद्योग

निम्नानुसार ध्यानाकर्षण —

- प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मजबूत बनाना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम को मजबूत बनाना।
- ग्रामीण कारीगर परिसरों को मजबूत बनाना।
- ग्रामीण उद्योगों में आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाना।
- लघु कृषि उद्योगों पर विशेष बल।

संरचना

निम्नानुसार पेचीदा संरचना अन्तरालों को कम करना—

- समूह आधार पर राष्ट्रीय समूह विकास कार्यक्रम और पेचीदा संरचना अन्तरालों के अभिनिर्धारण को मजबूत बनाना।
- प्रयोजनमूलक औद्योगिक पार्क।

उद्यमिता विकास

निम्नानुसार उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना—

- राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड को मजबूत बनाना।
- ग्रामीण उद्यमिता के संवर्धन के लिए व्यापक योजना।
- प्रबन्धन और उद्यमिता सम्बन्धी प्रशिक्षण में लगे हुए प्रमुख संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क।
- उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए मुख्य संकल्पना को अपनाना।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

निम्नानुसार द्विपक्षीय और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना—

- अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त अभियानों के लिए मन्त्रालय में अलग प्रकोष्ठ (सेल) बनाना।
- यूनिडो (यू एन आई डी ओ) और यू एन डी पी की सहायता से क्षेत्र विशिष्ट विकास कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय और बहुआयामी संगठनों के सहयोग द्वारा एक नई पहल एस एम ई पार्टेनेरियट।

सूचना प्रौद्योगिकी

निम्नानुसार सूचना प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना—

- लघु उद्योगों पर वैबसाइट, जिस में देश और राज्यों से सम्पर्क स्थापित कर नीति और प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और उत्पादों आदि की सूचना शामिल है।
- लघु उद्योगों को उचित इलेक्ट्रॉनिक संरचनात्मक समर्थन सहित ई-कॉमर्स के लिए तैयार करने हेतु व्यापक योजना।

लघु उद्योग मंत्रालय का गठन

सहस्राब्दि के लिए मिशन में बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में और घरेलू तथा वैश्वीकरण प्रतियोगिताओं के अतिक्रमण के कारण लघु उद्योगों के सामने आनेवाली चुनौतियों पर विशेष ध्यान देते हुए और लक्ष्य की प्राप्ति में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने इसे कृषि और ग्रामीण उद्योग से अलग करते हुए 6 सितम्बर 2001 को लघु उद्योग मन्त्रालय का गठन किया है।

लघु उद्योगों और अति लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज

(30 और 31 अगस्त 2000 को घोषित)

लघु उद्यमों की निर्णायक भूमिका और लघु उद्योग क्षेत्रों के समक्ष आनेवाली समस्याओं के बारे में सचेत होने के कारण योजना आयोग ने 1999 में योजना आयोग के सदस्य डॉ. एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में लघु उद्यमों के विकास के विषय में एक अध्ययन समूह का गठन किया था।

अध्ययन समूह ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 13 जुलाई को और अन्तिम रिपोर्ट मार्च 2001 को प्रस्तुत की। अध्ययन समूह की अन्तरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर तत्कालीन गृहमन्त्री श्री एल.के. अडवाणी की अध्यक्षता में गठित मन्त्रियों के समूह ने विचार किया था। मन्त्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योग और अति लघु क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज तैयार किया गया था जिसकी माननीय प्रधानमन्त्री ने 30 अगस्त 2000 को घोषणा की थी। नीतिगत पैकेज का उद्देश्य संवर्धित वित्तीय और ऋण सहायता, बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहनों के जरिए लघु क्षेत्र की प्रतियोगी क्षमता को स्वदेशी और सार्वभौमिक दोनों दृष्टियों से बढ़ाना था। अध्ययन समूह की अन्तरिम रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशें और उन पर शुरू की गई कार्रवाई परिशिष्ट में दी गई है।

व्यापक नीतिगत पैकेज की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं—

लघु उद्योग क्षेत्र

1.0 नीति समर्थन

1.1 अति लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा 25 लाख रु. तक जारी रहेगी।

1.2 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रु. की निवेश सीमा जारी रखी जाएगी।

1.3 लघु उद्योग मन्त्रालय हाई–टैक तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों की एक निर्धारित सूची बनाएगा जिनमें उचित प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्वीकार्यता तथा वे अपनी प्रतियोगात्मक क्षमता प्राप्त कर सकें, उसके लिए निवेश सीमा को 5 करोड़ तक बढ़ाया जाना आवश्यक होगा।

1.4 सीमित साझेदारी अधिनियम का प्रारूप शीघ्रता से बनाया जाएगा तथा लागू किया जाएगा। संसद के आगामी सत्र से पूर्व विधेयक लाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

2.0 वित्तीय सहायता

2.1 लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतियोगात्मकता में सुधार लाने के लिए उत्पाद शुल्क की सीमा को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया है।

3.0 ऋण सहायता

3.1 मिश्रित (कम्पोजिट) ऋणों की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है।

3.2 लघु उद्योग सेवा एवं व्यापार (उद्योग सम्बन्धित) उद्यम जिनका अधिकतम निवेश 10 लाख रु. तक का है, वे प्राथमिक ऋण के लिए पात्र होंगे।

3.3 राष्ट्रीय इक्विटी निधि (एन. ई. एफ.) योजना में 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जाएगा। सॉफ्ट ऋण सीमा प्रति परियोजना 10 लाख तक की अधिकतम शर्त पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक ही रखी जाएगी। एन.ई.एफ. के अन्तर्गत सहायता 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के सेवा प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3.4 अगस्त, 2000 में घोषित क्रेडिट गारंटी योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए पात्रता सीमा को विद्यमान 10 लाख रु. की सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रु. तक संशोधित किया गया है।

3.5 आर्थिक कार्य विभाग राज्य वित्त निगमों को पुनः आरम्भ करने/पुनर्निर्माण के सुझाव के लिए एक कार्यदल नियुक्त करेगा।

3.6 कार्यशील पूंजी के रूप में प्रोत्साहित निष्पादन के 20 प्रतिशत प्रावधान के सम्बन्ध में नायक समिति की सिफारिशों को वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को भेजा जा रहा है।

4.0 आधारभूत सहायता

4.1 एकीकृत आधारभूत विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सहित देश के सभी क्षेत्रों को उत्तरोत्तर शामिल करेगी।

4.2 औद्योगिक सम्पदाओं, जो क्षीण हैं, के उन्नयन के सम्बन्ध में लघु उद्योग मन्त्रालय योजना आयोग के विचारार्थ एक विस्तृत योजना बनाएगा।

4.3 सामूहिक विकास के लिए एक प्लान स्कीम बनाई जाएगी।

4.4 पूर्वोत्तर के लिए रद्द न होनेवाले पूल के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग औद्योगिक आधारभूत विकास उद्भवन केन्द्र स्थपित करना, सामूहिक विकास तथा सिक्कम सहित पूर्वोत्तर में आधारभूत विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए किया जाएगा।

5.0 प्रौद्योगिकीय सहायता तथा गुणवत्ता सुधार

5.1 चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 12 प्रतिशत की पूँजीगत राजसहायता प्रौद्योगिकी उन्नयन के अवसर तथा क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक अन्त:मन्त्रालयीन समिति गठित की जाएगी।

5.2 सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने के लिए आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणीकरण अपनाने के लिए प्रत्येक इकाई को 75,000/– रु. प्रदान करने की योजना आगामी छ: वर्षों तक अर्थात् 10वीं योजना के अन्त तक जारी रहेगी।

5.3 उभरते हुए उद्योगों में उद्भवन केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी।

5.4 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित लघु उद्यम प्रौद्योगिकी ब्यूरो (टी.बी.एस.ई.) को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि यह प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इसे उचित ढंग से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.), लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), लघु उद्यम सूचना और संसाधन केन्द्र नेटवर्क (सीनेट) तथा एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर टैक्नॉलाजी (ए.पी.सी.टी.टी.) के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

5.5 सीडो, सिडबी तथा एन.एस.आई.सी. भारत तथा विदेश में अनुसन्धान तथा विकास संस्थानों के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक सार-संग्रह संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचना के प्रसार के लिए उद्योग संघों को परिचालित किया जाएगा।

5.6 वाणिज्यिक बैंकों से प्रौद्योगिक उन्नयन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ विकसित करने तथा उन्हें सिडबी के अनुरूप बनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

5.7 उन लघु उद्योग संघों को 50 प्रतिशत एकमुश्त पूँजीगत अनुदान दिया जाएगा जो परीक्षण प्रयोगशालाएँ विकसित करना तथा चलाना चाहते हैं बशर्ते वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों।

6.0 विपणन सहायता

6.1 वाणिज्य मन्त्रालय की तरह ही सीडो में भी एक विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) कार्यक्रम होगा। यह एक प्लान योजना होगी।

6.2 विक्रेता विकास कार्यक्रम, क्रेता–विक्रेता बैठकें तथा प्रदर्शनियाँ और अधिक जल्दी–जल्दी तथा विभिन्न स्थानों पर कराई जाएँगी।

7.0 निरीक्षणों/नियमों तथा विनियमों को व्यवस्थित करना

7.1 लघु उद्योग क्षेत्र की परेशानी को न्यूनतम करने के लिए एक दल का गठन किया जाएगा जो तीन महीने के भीतर निरीक्षण व्यवस्थित करने के तरीके की सिफारिश करेगा। इसमें अनुमेय कानूनों तथा विनियमों को निरस्त करना शामिल होगा जो अब निरर्थक हो गए हैं।

7.2 निरीक्षण के स्थान पर स्व–प्रमाणीकरण को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया जाएगा जोकि निम्नलिखित तीन शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए :

- विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर
- नमूना जाँच के लिए इकाई का चुनाव (कुल इकाइयों का 10 प्रतिशत) तथा
- लेखा परीक्षा तथा सुरक्षा प्रयोजन के लिए।

8.0 उद्यमिता विकास

8.1 लघु उद्योग क्षेत्र में क्षमता बनाने, उद्यमी तथा कामगारों दोनों ही के लिए, को प्राथमिकता दी जाएगी। लघु उद्योग मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालय संयुक्त रूप से कार्यनीति बनाएँगे।

9.0 तुरन्त भुगतान को सरल बनाना

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक से लघु उद्योगों के आपूर्तिकर्ताओं का सहारा लिए बिना फैक्ट्रिंग सेवाओं को कैसे सुदृढ़ तथा विख्यात किया जा सकता है, के प्रश्न की जाँच के लिए एक कार्य दल नियुक्त करने का आग्रह किया जा रहा है। यह कार्यदल इसके गठन के पश्चात छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

9.2 बड़े उधार लेनेवालों विशेषकर लघु उद्योगों से या तो केस आधार पर या बिल आधार पर खरीद के सम्बन्ध में भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए उपनियतन सम्पूर्ण सीमाओं के प्रश्न को बैंकों के साथ उठाने का भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया जा रहा है।

10.0 रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास

10.1 विद्यमान रुग्ण लेकिन सम्भाव्य जीवनक्षम लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्ग-निर्देश तैयार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया जा रहा है। ऐसे मार्ग-निर्देश विस्तृत, पारदर्शी तथा गैर-विशेषाधिकार के होने चाहिए।

11.0 ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन

11.1 हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने के लिए 'दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' घोषित की गई है। योजना 447 करोड़ रु. की कुल वित्तीय निहितार्थ की है तथा यह बुनकरों को व्यापक वित्तीय तथा आधारभूत सहायता उपलब्ध कराएगी।

11.2 सरकार खादी तथा ग्रामोद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार कर रही है जो कि आगे कामगारों की कार्यकुशलता को भी बढ़ाएगी।

12.0 आंकड़ा आधार (डाटा-बेस) में सुधार करना

12.1 लघु उद्योगों की एक नई गणना आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्णता के उदाहरण तथा उसके कारण बताए जाएँगे।

अति लघु क्षेत्र

13.0 विपणन सहायता

13.1 अति लघु क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. की निवेश सीमा को जारी रखा जाएगा।

13.2 प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना, जो अति लघु उद्यमों तथा शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोज़गार सृजन हेतु वित्त पोषित करती है, के अन्तर्गत परिवार की पात्रता आय सीमा को 24,000 रु. से बढ़ाकर 40,000 रु. प्रति वर्ष तक संशोधित किया है।

14.0 ऋण सहायता

14.1 प्रक्षेपित निष्पादन का 20 प्रतिशत प्रावधान कार्यशील पूँजी के रूप में रखने के सम्बन्ध में नायक समिति की सिफारिशों को वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को भेजा जा रहा है। अति लघु इकाइयों के सम्बन्ध में भी प्रक्षेपित वार्षिक निष्पादन का 20 प्रतिशत कार्यशील पूँजी ऋण के लिए पात्र होगा।

14.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अति लघु क्षेत्र को 25 लाख रु. तक मिश्रित ऋण देना जारी रखेगा तथा एक प्रतिशत रियायती ब्याज दर लेना जारी रखेगा।

14.3 सिडबी, अति लघु क्षेत्र को पुनः वित्तपोषण की रियायती दर देता रहेगा जो कि अब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 12 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत है। यह नीति जारी रहेगी।

14.4 राष्ट्रीय इक्विटी निधि (एन.ई.एफ.) योजना में परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। सॉफ्ट ऋण परियोजना लागत का 25 प्रतिशत ही रखा जाएगा जोकि अधिकतम 10 लाख रु. प्रति परियोजना की शर्त पर होगा। एन.ई.एफ. के अन्तर्गत सहायता 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सेवा प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत निवेश का 30 प्रतिशत अति लघु क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा।

15.0 आधारभूत संरचना सहायता

15.1 एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सहित देश के सभी क्षेत्रों को उत्तरोत्तर शामिल करेगी। इस योजना के अन्तर्गत (पूर्व 40 प्रतिशत की अपेक्षा) 50 प्रतिशत प्लॉट अति लघु क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट किए जाएँगे।

15.2 ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समूह विकास खादी ग्रामोद्योग आयोग

(के.वी.आई.सी.) सीडो, सिडबी तथा नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। समूह विकास कार्यक्रम के प्रमुख लाभभोगी अति लघु क्षेत्र इकाइयाँ होंगी। प्रत्येक समूह के लिए प्रायोजिक संगठन डिजाइन विकास, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी की मध्यस्थता तथा सहायता-संघ (कांसोट्रियम) विपणन उपलब्ध कराएँगे। प्लान के अन्तर्गत एक समूह विकास निधि सृजित की जाएगी।

16.0 प्रौद्योगिकीय सहायता

16.1 चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश के लिए 12 प्रतिशत पूँजीगत आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत अति लघु क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी।

17.0 विपणन सहायता

17.1 क्रेता-विक्रेता बैठकें, विक्रेता विकास कार्यक्रम तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित करते समय अति लघु क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी।

कार्यान्वयन की स्थिति

- 30 अगस्त 2000 को प्रधानमन्त्री द्वारा लघु उद्योगों के लिए घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज में कुल 29 कार्य बिन्दु सामने आए। 1 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार इसके कार्यान्वयन की स्थिति आगे दिखाई गई है।

	नीतिगत निर्णय	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	लघु क्षेत्र की प्रतियोगी क्षमता को सुधारने के लिए सीमा-शुल्क छूट सीमा को 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये किया जाए।	वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ने एक सितम्बर, 2000 को अधिसूचना जारी की।
2.	ग्राह्य उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋणों के लिए 12% की पूँजीगत सहायता दी जाएगी।	योजना चल रही है। गवर्निंग और प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड गठित किया गया है।
3.	वित्त मन्त्रालय द्वारा चुंगी शुल्क के सम्बन्ध में मानदण्ड	31.8.2000 को आदेश जारी किए गए।
4.	लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा 12 वर्षों के बाद तीसरी लघु उद्योग गणना की जाएगी। गणना में रूग्णता और उसके कारणों पर भी विचार किया जाएगा।	गणना का काम कई राज्यों में समाप्त हो गया है और आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जा रहा है।
5.	उद्योग संबंधी सेवा तथा व्यवसायिक उद्यमों में निवेश की सीमा को 5 लाख से 10 लाख रुपये किया जाए।	निवेश सीमा बढ़ाने के आदेश 19.9.2000 को जारी किए गए।
6.	आई एस ओ प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रत्येक लघु उद्यम को 75,000 रुपये मंजूर किए जाने की मौजूदा योजना 10वीं योजना के अन्त तक चलाई जाए।	9.10.2000 को आदेश जारी किए गए।
7.	खादी और ग्रामीण उद्योगों के लिए नया व्यापक पैकेज।	14 मई, 2001 को खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए एक नया पैकेज घोषित किया गया है।
8.	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।	वस्त्र मन्त्रालय ने योजना का ब्यौरा परिचालित कर दिया है।
9.	कम्पोजिट ऋणों की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख की जाए।	10 अक्तूबर, 2000 को आर पी सी डी पी एल एन पी एस सी नं. बी सी 25/06.02.31/2000-1 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने आर. आर. बी. सहित सभी अनुसूचित बैंकों को निदेश जारी किए हैं।
10.	मौजूदा लघु उद्योगों के लिए एकीकृत आधारभूत विकास (आई आई डी) योजना उत्तरोत्तर देश में सभी क्षेत्रों को शामिल करेगी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50% आरक्षण होगा और अति लघु क्षेत्रों के लिए 50% भू-खण्ड निर्धारित किए जाएँगे।	राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं।
11.	प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत, जो छोटे उद्यमों को लगाने के लिए धन देती है और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करती है, पारिवारिक आय पात्रता की सीमा को 24,000 रुपये से बढ़ाकर	13.9.2000 को आदेश जारी किया गया।

नीतिगत निर्णय		कार्यान्वयन की स्थिति
	40,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।	
12.	एस एफ सी को पुन: सक्रिय/पुनर्गठित करने का सुझाव देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक टास्कफोर्स गठित करना।	5 सितम्बर, 2000 को श्री जी.पी. गुप्ता, सी एम डी, आई डी बी आई के अधीन गठित टास्क फोर्स/समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
13.	भारतीय रिज़र्व बैंक को कार्यकारी पूँजी के रूप में दिखाए गए 20% टर्न ओवर के प्रावधान के बारे में परिपत्र जारी करना।	इस अनुदेश को दोहराते हुए परिपत्र जारी किया गया।
14.	ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए 10 लाख रुपये की वर्तमान पात्रता सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना। यह योजना निर्धारित एक वर्ष की अवधि से आगे भी चलेगी और वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त तरीके से बढ़ाई और संशोधित की जाएगी।	ऋण गारण्टी निधि ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित पात्रता सीमा में वृद्धि कर दी गई है।
15.	राष्ट्रीय इक्विटी निधि के लिए परियोजना सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना। 30% निवेश अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाएगा।	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सीमा बढ़ाई गई।
16.	नए और उभरते हुए उद्योगों में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना को सहायता दी जाएगी। सम्बद्ध मन्त्रालय अपने योजनागत बजट में व्यवस्था करेंगे।	नए और उभरते हुए उद्योगों से सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों के सचिवों से 4 फरवरी, 2001 को अपने-अपने क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन केन्द्र खोलने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
17.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों से खरीद के सम्बन्ध में भुगतान उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए बड़े ऋणियों के लिए सम्पूर्ण सीमाओं के उप आबंटन के प्रश्न को बैंकों के साथ उठाना।	भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 16 अक्तूबर, 2000 के परिपत्र सं. 5/08.12/01/2000-01 द्वारा आवश्यक निदेश जारी किए हैं।
18.	उत्तर-पूर्व के लिए समाप्त न होनेवाले पूल के अन्तर्गत उपलब्ध निधि का आई आई डी, इन्क्यूबेशन केन्द्रों और समूह विकास के लिए उपयोग किया जाना।	5 दिसम्बर, 2000 को सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व की सभी राज्य सरकारों के उद्योग सचिवों को मार्ग-निर्देश जारी किए गए।
19.	लघु उद्योग और श्रम मन्त्रालय द्वारा उद्यमियों और कामगारों दोनों की क्षमता निर्माण के लिए नीति बनाना।	श्रम मन्त्रालय के कामगारों के प्रशिक्षण के लिए तीन मोनोग्राफ भेजे। इनकी विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय द्वारा जाँच की गई है और लघु उद्योग क्षेत्र की और भागीदारी के लिए श्रम मन्त्रालय को सुझाव भेजे हैं।
20.	लघु उद्योग संघों को परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकास और प्रचालन के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसे संघों को	योजना को परिचालित कर दिया गया है।

नीतिगत निर्णय		कार्यान्वयन की स्थिति
	प्रत्येक मामले की जाँच के पश्चात प्रतिपूर्ति के आधार पर एक बार मिलनेवाला 50% पूँजी अनुदान दिया जाएगा।	
21.	सीडो, सिडबी और एन एस आई सी द्वारा मिलकर भारत और विदेशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का सार-संग्रह औद्योगिक संघों में परिचालित करने के लिए तैयार किया जाए। टी बी एस ई (सिडबी द्वारा स्थापित) को मजबूत बनाया जाएगा और एन एस आई सी, सीडो (सिनेट) और ए पी सी टी टी के साथ इसे नेटवर्क में डाला जाएगा।	सार-संग्रह पहले ही संकलित कर लिया गया है और एन एस आई सी के वेब-साइट पर उपलब्ध है। (एच टी टी पी : // डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. टी ई सी एच एस एच ओ डब्ल्यू आई एन डी आई ए. सी ओ एम)
22.	लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय हाई-टेक और निर्यातोन्मुख उद्योगों की विशेष सूची निकाले जिसमें निवेश सीमा को 5 करोड़ रुपये तक किया जाए।	1 जनवरी, 2001 से सिले-सिलाए वस्त्रों को आरक्षण से मुक्त किया गया और 29 जून, 2001 को चमड़ा और खिलौनों को आरक्षण से मुक्त करने के आदेश जारी किए गए। 9 अक्तूबर, 2001 को हस्त-औजारों और निटवियरों के लिए निवेश को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की अधिसूचना जारी की गई है।
23.	औद्योगिक सम्पदाओं के उन्नयन के लिए एक योजना तैयार की जाए।	औद्योगिक सम्पदाओं के उन्नयन के मामलों को शामिल करने के लिए आई आई डी योजना का विस्तार किया गया है।
24.	लघु उद्योग विकास संगठन के पास वैसी ही बाजार विकास सहायता योजना होनी चाहिए जैसी कि वाणिज्य मन्त्रालय के पास है। यह योजनागत योजना होनी चाहिए।	लघु उद्योग निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता की योजना 30 अगस्त, 2001 से चल रही है। मार्ग-निर्देश सभी सम्बन्धितों को जारी किए जा चुके हैं।
25.	एन पी आर आई के सन्दर्भ में समूह विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी।	एक योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत एन पी आर आई के तहत प्रत्येक समूह के लिए आधुनिक औजारों की किट के सुधार सम्बन्धी अध्ययन, विकास और प्रदर्शन करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए और गैर-सरकारी संगठनों को मजबूत करने, परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेने, सामूहिक सुविधा केन्द्र, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन-दौरों आदि के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएँगे।
26.	निरीक्षणों को सरल बनाने और क्षेत्र पर लागू पुराने कानूनों और विनियमों को हटाने के लिए तीन माह के भीतर अपने सुझाव देने/सिफारिश करने के लिए मन्त्रिमण्डल सचिव के अधीन एक ग्रुप गठित किया जाएगा।	ग्रुप की सिफारिशों पर अर्ध-शासकीय पत्र से राज्य मन्त्री (लघु उद्योग) की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को स्व-प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए मार्ग-निर्देश/अनुरोध जारी किए गए।
27.	भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा बीमार परन्तु सम्भावित	भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2002 को संशोधित मार्ग-

नीतिगत निर्णय		कार्यान्वयन की स्थिति
	रूप में व्यवहार्य लघु औद्योगिक इकाइयों को पुन: सक्रिय बनाने के लिए संशोधित मार्ग–निर्देश तैयार करे।	निर्देश जारी किए।
28.	भारतीय रिजर्व बैंक फैक्टरिंग सेवाओं को मजबूत करने और जन–प्रिय बनाने तथा बिल प्रथा को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त करे।	वित्त मन्त्रालय ने सूचित किया है कि विधान के मसौदे पर शीघ्र निर्णय लेने की दृष्टि से औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर बकाया ऋणों की फैक्टरिंग से सम्बन्धित भारतीय बैंक एसोसिएशन और भारतीय रिजर्व बैंक की पैरा–वार और खण्ड–वार टिप्पणियों की जाँच की जा रही है।
29.	सीमित साझीदारी अधिनियम तुरन्त बनाया जाना चाहिए। विधेयक को संसद के आगामी सत्र से पूर्व लाने के प्रयास किए जाएँगे।	कम्पनी कार्य विभाग ने सीमित साझीदारी अधिनियम बनाने/के कार्य से जुड़े मुद्दों की जाँच करने के लिए एक समूह का गठन किया। लघु उद्योग मन्त्रालय ने विधि मन्त्रालय को विचारार्थ अपने विचार भेज दिए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र की रूपरेखा (31 मार्च, 2003)

लघु उद्योग क्षेत्र में निम्नलिखित हैं :

- देश में 91% औद्योगिक इकाइयाँ।
- विनिर्माण क्षेत्र में 40% मूल्य सहित।
- 34.3% राष्ट्रीय निर्यात।
- 6.67% सकल घरेलू उत्पाद।

अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- 200 लाख व्यक्तियों को रोजगार।
- औद्योगिक लघु उद्योग क्षेत्र में 7500 से अधिक मदों का उत्पादन।
- उत्पाद की रेंज पारम्परिक प्रौद्योगिकी से उत्पादित सामान्य मदों से लेकर कला प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम अवस्था के साथ उत्पादित उच्च तकनीकी उत्पाद तक विभिन्न प्रकार की है।
- 675 मदें केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित।
- 358 मदें केवल लघु उद्योग क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए आरक्षित।

सरकार की ओर से आधारभूत तन्त्र-व्यवस्था, वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को मिले निरन्तर समर्थन ने इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का सक्रिय और स्पन्दनशील क्षेत्र बनने में सहायता मिली है।

इकाइयों की संख्या, पैदा किए गए रोजगार, उत्पादन और निर्यात के अभिप्राय से भारत में लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य–निष्पादन के आँकड़े आगे तालिका में दिए गए हैं।

भारत में लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य निष्पादन

वर्ष	इकाइयों की संख्या (लाखों में)			उत्पादन (करोड़ों में)			रोजगार (लाखों में)	निर्यात (करोड़ों में)		
	पंजीकृत	गैर-पंजीकृत	कुल	मौजूदा मूल्य	1970-71 के मूल्य पर	संवृद्धि दर		लघु उद्योग	अखिल भारत	लघु इकाइयों का शेयर (%)
1973-74	1.64	2.52	4.16	7200	5161	—	39.70	393	2523	15.58
1974-75	2.22	2.76	4.98	9200	5450	5.60	40.40	541	3329	16.25
1975-76	2.46	3.00	5.46	11000	6425	17.89	45.90	532	4036	13.18
1976-77	2.68	3.24	5.92	12400	7078	10.16	49.80	766	5142	14.90
1977-78	2.96	3.74	6.70	14300	7980	12.74	54.00	845	5408	15.63
1978-79	3.34	4.00	7.34	15790	8797	10.24	63.80	1069	5726	18.67
1979-80	3.92	4.13	8.05	21635	10025	13.96	67.00	1226	6418	19.10
1980-81	4.48	4.26	8.74	28060	10906	8.79	71.00	1643	6711	24.48
1981-82	5.23	4.39	9.62	32600	11837	8.54	75.00	2071	7806	26.53
1982-83	6.07	4.52	10.59	35000	12800	8.14	79.00	2045	8803	23.23
1983-84	6.84	4.71	11.55	41620	14120	10.31	84.15	2164	9771	22.15
1984-85	7.55	4.85	12.40	50520	15810	11.97	90.00	2541	11744	21.64
1985-86	8.53	5.00	13.53	61228	17840	12.84	96.00	2769	10895	25.42
1986-87	9.48	5.14	14.62	72250	20187	13.16	101.40	3643	12452	29.26
1987-88	10.55	5.28	15.83	87300	22742	12.66	107.00	4372	15674	27.89
1988-89	11.70	5.42	17.12	106400	25672	12.88	113.00	5489	20232	27.13
1989-90	12.67	5.56	18.23	132320	28690	11.76	119.60	7625	27658	27.57
1990-91	13.78	5.70	19.48	155340	155340*	—	125.30	9664	32553	29.69
1991-92	14.98	5.84	20.82	178699	160156*	3.10	129.80	13883	44041	31.52
1992-93	16.48	5.98	22.46	209300	225626□	5.60	134.06	17784	53688	32.12
1993-94	17.76	6.12	23.88	241648	241648□	7.10	139.38	25307	69751	36.38
1994-95	19.44	6.27	25.71	298886	266054□	10.10	146.56	29068	82674	35.16
1995-96	20.18	6.40	26.58	362656	296385□	11.40	152.61	36470	106465	34.26
1996-97	21.53	6.50	28.03	411858	329935□	11.32	160.00	39248	117524	33.40
1997-98	22.82	6.62	29.44	462641	357749□	8.43	167.20	44442	126286	35.19
1998-99	24.06	6.74	30.80	520650	385296□	7.70	171.58	48979	141604	34.59
1999-2000	25.26	6.86	32.12	572887	416736□	8.16	178.50	54200	159161	33.97
2000-2001	26.72	6.98	33.70	639024	451033□	8.23	185.64	69797	202510	34.47
2001-2002	27.53	7.11	34.64	690316	478456	6.08	192.23	71244	207746	34.29
□2002-2003	28.49	7.23	35.72	742021	514292	7.78	99.65	अनु.	—	—

* 1990-91 के मूल्य पर उत्पादन

□ 1993-94 के मूल्य पर उत्पादन

□ अनुमानित

स्रोत - सीडो

लघु उद्योग की परिभाषा

लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत आती है। क्षेत्र को संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा (मूल लागत) की शर्तों के अनुसार एक निर्धारित मूल्य तक परिभाषित किया गया है। इसमें उद्योगों का व्यापक परिवेश शामिल है जोकि सूक्ष्म और ग्रामीण उद्योगों तक फैला हुआ है और जिसमें आधुनिक लघु उद्योगों में एक ओर तो प्रारम्भिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी ओर परिष्कृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में व्यापक रेंज की परिकल्पना में लगे हुए क्षेत्रीय प्रभावों की शर्तों की सम्भावना में बँधा हुआ है। यह बड़े ग्रामों और छोटे उद्योग (वी एस आई) क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें लघु उद्योग और परियोजना उद्योग शामिल हैं। क्षेत्रीय प्रभागों के साथ-साथ प्रशासनिक और विकासशील फ्रेमवर्क गठित किया गया है और इसे नीचे दिखाया गया है—

क्रम सं	उद्योग	एजेंसी	प्रशासनिक विभाग/ मन्त्रालय
1.	बड़े/मध्यम उद्योग		औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय
2.	लघु उद्योग	लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो)	लघु उद्योग मन्त्रालय
3.	बिजली करघे	वस्त्र आयुक्त	वस्त्र मन्त्रालय
	पारम्परिक उद्योग		
4.	खादी और ग्रामोद्योग	के वी आई सी	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय
5.	हथकरघे	विकास आयुक्त (हथकरघा)	वस्त्र मन्त्रालय
6.	रेशम उत्पादन	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	वस्त्र मन्त्रालय
7.	हस्तशिल्प	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	वस्त्र मन्त्रालय
8.	कॉयर फाइबर	कॉयर बोर्ड	कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय

व्यवहार रूप में लघु उद्योग क्षेत्र एक अवशिष्ट क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि वे सभी इकाइयां जो एक निर्धारित निवेश सीमा में आती हैं और किसी विशेष उपक्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसमें शामिल की गई हैं। क्रम संख्या 2 से 8 तक सूची बद्ध किए गए उद्योगों को योजना आयोग द्वारा 24-12-1999 से ग्रामीण लघु उद्योग (वी एस आई) की संज्ञा दी गई है। लघु उद्योग और बिजली करघों को वी एस आई का आधुनिक खण्ड माना जाता है जबकि ग्रामीण उद्योग, हथकरघे, रेशम, उत्पादन, हस्तशिल्प और कॉयर (जूट) को पारम्परिक उद्योगों की संज्ञा दी गई है।

1950 से लघु उद्योग की परिभाषा

निवेश सीमा को लेकर लघु उद्योग की परिभाषा में वर्षों में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं:

वर्ष	निवेश सीमा	अतिरिक्त शर्तें
1950	नियत परिसम्पत्तियों में 5.00 लाख रुपये तक	बिजली सहित या बिजली रहित 50/100 से कम व्यक्ति
1960	नियत परिसम्पत्तियों में 5.00 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1966	संयंत्र और मशीनरी में 7.5 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1975	संयंत्र और मशीनरी में 10 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1980	संयंत्र और मशीनरी में 20 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1985	संयंत्र और मशीनरी में 35 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1991	संयंत्र और मशीनरी में 60 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं
1997	संयंत्र और मशीनरी में 300 लाख रुपए तक*	कोई शर्त नहीं
1999	संयंत्र और मशीनरी में 100 लाख रुपये तक*	कोई शर्त नहीं
2001	संयंत्र और मशीनरी में 100 लाख रुपये तक	कोई शर्त नहीं

* हौजरी और हस्त औजारों से सम्बन्धित 2 बड़े समूह जिनमें 41 मदें शामिल हैं तथा लेखन सामग्री एवं औषधि और भेषजीय 23 मदों के संयंत्र और मशीनरी में अक्तूबर 2001 से निवेश सीमा 500 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। इनका विस्तृत ब्यौरा सम्बन्धित उत्पाद कोड और नाम के साथ अगले पृष्ठों में दिया जा रहा है।

वर्तमान परिभाषाएँ

(24.12.1999 से प्रभावी)

(क) लघु उद्योग

किसी भी औद्योगिक उपक्रम में जिसमें संयंत्र और मशीनरी से सम्बन्धित नियत परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश चाहे वह स्वामित्व वाली शर्तों पर हो अथवा लीज़ पर या हायर-परचेज द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(ख) सहायक औद्योगिक उपक्रम

ऐसा सहायक औद्योगिक उपक्रम जो पुर्जों और घटकों, उपसंयोजनों, औजारों अथवा सहायक औजारों के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगा है अथवा उसके इन कामों में लगने का प्रस्ताव है अथवा सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है और आपूर्ति कर रहा है अथवा आपूर्ति कर्ता या करने का प्रस्ताव है अथवा एक या अधिक अन्य औद्योगिक उपक्रमों को उत्पादन अथवा सेवाओं का जैसा भी मामला हो कम से कम 50% की आपूर्ति करता है और जिसका संयंत्र और मशीनरी में नियत परिसम्पत्तियों में, चाहे वे स्वामित्व की शर्तों पर हो अथवा पट्टे पर हो अथवा किराया खरीद पर हो में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

टिप्पणी 1 : उपरोक्त सन्दर्भित कोई भी लघु अथवा सहायक उद्योग उपक्रम किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम का सहायक अथवा स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किया जानेवाला उपक्रम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ—

(क) 'स्वामित्व' से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में से विनिर्दिष्ट 'स्वामी' शब्द की परिभाषा से निकला अर्थ अभिप्रेत होगा।

(ख) 'सहायक' का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 के (खण्ड 47) में निर्दिष्ट है।

(ग) ''किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा नियन्त्रित'' शब्दों से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहाँ दो अथवा दो से अधिक औद्योगिक उपक्रम किसी एक उपक्रम द्वारा स्वामी के रूप में स्थापित किए जाते हैं तो ऐसा प्रत्येक उपक्रम अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियन्त्रित माना जाएगा;

(ii) जहाँ दो अथवा दो से अधिक औद्योगिक उपक्रम भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 1) के अन्तर्गत साझीदार फर्मों के रूप में स्थापित किए जाते हैं और 1 अथवा 1 से अधिक साझीदार सामूहिक साझीदार हैं तो ऐसे प्रत्येक उपक्रम को अन्य उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियन्त्रित माना जाएगा;

(iii) जहाँ प्रौद्योगिक उपक्रम कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं तो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा नियन्त्रित माना जाएगा बशर्ते—

(क) उसमें अन्य औद्योगिक उपक्रम की इक्विटी इसकी कुल इक्विटी के 24% से ज्यादा हो; अथवा

(ख) एक उपक्रम का प्रबन्ध नियन्त्रण ऐसे तरीके से दूसरे औद्योगिक उपक्रमों के पास हस्तान्तरित हो जाए कि पहले उल्लिखित उपक्रम का प्रबन्ध निदेशक दूसरे औद्योगिक उपक्रम में भी प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक है अथवा पहले उल्लिखित उपक्रम के निदेशकों के बोर्ड का निम्नलिखित उपखण्ड (iv) की मदों (क) और (ख) के प्रावधान के अनुसार दूसरे औद्योगिक उपक्रमों में इक्विटी धारकों के कारण बहुमत है;

(iv) उपरोक्त उपखण्ड (iii) के अनुसार उपक्रम में अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा इक्विटी भागीदारी की सीमा नीचे दिए अनुसार निकाली जाएगी;

(क) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा इक्विटी भागीदारी में विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार की इक्विटी शामिल होंगी।

(ख) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा इक्विटी की भागीदारी किसी औद्योगिक उपक्रम में अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा, चाहे वे लघु हों अथवा बड़े, दोनों की इक्विटी धारिता और साथ ही ऐसे व्यक्तियों, जो किसी अन्य उपक्रम अथवा उपक्रमों में निदेशक हों, चाहे सम्बन्धित व्यक्ति अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों में निदेशक भी हों, की इक्विटी धारिता से अभिप्रेत है।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पास विशेष तकनीकी योग्यता और अनुभव है, की किसी लघु उद्योग उपक्रम में निदेशक के रूप में नियुक्ति है, तो उसकी योग्यता के शेयरों तक की सीमा तक की उसकी इक्विटी धारिता को, यदि एसोसिएशन नियम में ऐसा प्रावधान है, अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा इक्विटी धारिता की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा चाहे सम्बन्धित व्यक्ति अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों में निदेशक हो।

(घ) यदि कोई औद्योगिक उपक्रम उप-खण्ड (i), (ii) अथवा (iii) के अर्थों में किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों का सहायक उपक्रम है, अथवा उनके स्वामित्व में है, अथवा उनके द्वारा नियन्त्रित है और यदि पहले उल्लिखित औद्योगिक उपक्रम और दूसरे औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रमों को मिला देने के बाद उनकी संयंत्र और मशीनरी में अचल सम्पत्तियों में कुल निवेश इस अधिसूचना के पैराग्राफ (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा जैसा भी मामला हो, से अधिक है तो इनमें से कोई भी औद्योगिक उपक्रम लघु अथवा अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 2 :

(क) इस अधिसूचना के पैरा (1) और (2) के प्रयोजनार्थ संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के आकलन के लिए उसके मूल मूल्य, चाहे संयंत्र और मशीनरी नया हो अथवा पुराना, को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) संयंत्र और मशीनरी का मूल्य लगाते समय निम्नलिखित शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्

(i) औजारों, जिगों, डाइयों, मोल्डो जैसे उपकरणों की लागत और रख-रखाव के लिए कल-पुर्जों तथा उपभोग्य भण्डारों की लागत;

(ii) संयंत्र और मशीनरी की स्थापना की लागत;

(iii) अनुसन्धान और विकास उपकरण और प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण की लागत;

(iv) राज्य बिजली बोर्ड के विनियमों के अनुसार उपक्रम द्वारा लगाए गए जनरेटर सेटों और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत;

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अथवा राज्य लघु उद्योग निगम को दिए गए बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;

(vi) ऐसे केबल, तार, बस बार्स, बिजली नियन्त्रण पैनल (अलग-अलग मशीनों पर लगे हुए नहीं) आयल सर्किट ब्रेकर्स और मिनिएचर्स सर्किट ब्रेकर्स की लागत जो संयंत्र और मशीनरी को बिजली उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाने के लिए जरूरी हैं अथवा सुरक्षा उपायों के लिए;

(vii) गैस उत्पादक संयंत्रों की लागत;

(viii) विनिर्माण के स्थल से फैक्टरी तक स्वदेशी मशीनरी के लिए परिवहन प्रभार (बिक्री कर और सीमा-शुल्क को छोड़कर);

(ix) संयंत्र और मशीनरी लगाने के लिए तकनीकी ज्ञान के लिए दिया गया प्रभार;

(x) ऐसे भण्डार टैंकों की लागत जिनमें केवल कच्चे माल, तैयार उत्पाद का भण्डार किया जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया से जोड़े नहीं जाते, और

(xi) अग्नि उपशमक उपकरणों की लागत।

(ग) आयातित मशीनरी के मामले में मूल्य के आकलन में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, अर्थात्—

(i) आयात शुल्क (बन्दरगाह से फैक्टरी स्थल तक परिवहन, बन्दरगाह पर दिया गया विलम्ब-शुल्क जैसे विविध व्यय);

(ii) शिपिंग प्रभार;

(iii) सीमा-शुल्क अनापत्ति प्रभार; और

(iv) बिक्री कर।

प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11, 11 क और 13 के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी किया गया है, और सहायक तथा लघु उद्योग उपक्रम से सम्बन्धित उपरोक्त पैरा (1) और (2) के प्रावधानों में आते हैं, स्वामी के विवेक पर, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत की जा सकती है।

हाई-टेक और निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ

(घ) 9 अक्तूबर, 2001 को अधिसूचित हस्त औजारों और निटवियर वस्तुओं में 41 विशिष्ट हाई-टेक और निर्यातोन्मुखी मदों में से किसी मद का कोई औद्योगिक उपकरण विनिर्माण कर रहा है जिसमें कि संयंत्र और मशीनरी में अचल सम्पत्तियों में निवेश, चाहे सम्पति स्वामित्व की शर्त पर हो अथवा पट्टे पर अथवा क्रय-खरीद पर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता।

हस्त औजारों और निटवियर में उच्च तकनीक और निर्यातोन्मुख 41 मदों की सूची निम्नानुसार है—

	उत्पाद कोड	मद का नाम	
1.	260101	बुना हुआ सूती वस्त्र	
2.	260102	बुनी हुई सूती बनियानें	
3.	260103	बुनी हुई सूती जुराबें	
4.	260104	बुने हुए सूती अधोवस्त्र	
5.	260106	बुने हुए सूती शाल	
6.	260109	अन्य सूती बुने हुए वस्त्र	
7.	260201	बुने हुए ऊनी वस्त्र	
8.	260202	बुनी हुई सूती बनियानें	
9.	260203	बुनी हुई ऊनी जुराबें	
10.	260204	बुने हुए ऊनी स्कार्फ	
11.	260205	बुने हुए ऊनी अधोवस्त्र	
12.	260206	बुनी हुई ऊनी टोपियाँ	
13.	260207	बुने हुए ऊनी शाल	
14.	260208	ऊनी दस्ताने	
15.	260207	बुने हुए ऊनी मफलर	
16.	260299	अन्य बुने हुए वस्त्र	
		आर्टसिल्क/मानव निर्मित फाइबर हौजरी	
17.	260310	1.	सिंथेटिक बुनी हुई जुराबें और स्टॉकिंग्स
18.	260302	2.	बुने हुए सिंथेटिक अधोवस्त्र जैसे बनियानें, जाँघिए और ड्राअर
19.	260304	3.	बुने हुए बाहरी वस्त्र जैसे जरसी, स्लिपओवर, पुलोवर, कार्डिगन और जैकेट
20.	260308	4.	बुने हुए सिंथेटिक बच्चों के कपड़े जैसे बेबी सूट, निकर, फ्रॉक, अन्त:वस्त्र और बाह्य वस्त्र
21.	26030901	5.	बुने हुए सिंथेटिक कपड़े, सिल्वर निटिंग द्वारा निर्मित हाई पाइल कपड़े और बुने हुए सिंथेटिक कम्बलों को छोड़कर।
22.	260311	6.	बुने हुए सिंथेटिक तैराकी वस्त्र जैसे ट्रंक और कॉस्ट्यूम
23.	260312	7.	बुने हुए सिंथेटिक वस्त्र जैसे स्कार्फ, मफलर, शाल, टोपी, टाई, ब्लाउज और जीन
24.	260313	8.	बुने हुए सिंथेटिक शर्ट, टीशर्ट, कॉलर शर्ट और स्पोर्ट्स स्कर्ट
25.	260314	9.	बुने हुए सिंथेटिक मोजे
26.	260315	10.	बुना हुआ सिंथेटिक गैस मेंटल फैब्रिक
27.	260316	11.	अन्य सिंथेटिक निटवियर
28.	343101	लोहा आरी फ्रेम	
29.	343102	प्लास	

	उत्पाद कोड	मद का नाम
30.	343103	पेचकस
31.	343104	स्पैनर
32.	343106	हथौड़े
33.	343108	एनविल
34.	343109	लकड़ी का काम करनेवाले आरे
35.	343111	रेंच
36.	343112	चाकू और कतरने वाले ब्लेड (हस्त प्रचालन के लिए धातु, कागज, बाँस और लकड़ी सभी को मिलाकर)
37.	343113	नेल पुलर
38.	343114	छेनी
39.	343115	सँड़सी
40.	343116	तार काटनेवाली
41.	343199	लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, हाथ की गढ़ाई, ढलाई आदि के लिए हाथ के अन्य औजार
लेखन सामग्री सेक्टर		
	319911	लेखन की स्याही और फाउंटेन पेन की स्याही
	387101	बाल प्वाइंट पेन
	387103	फाउंटेन पेन
	387104	पेन की निबें
	387105	फाउंटेन पेन और बाल पेन के पुर्जे धात्विक टिप को छोड़कर
	387201	पेंसिलें
	387401	हाथ की स्टेपल मशीन
	387501	पेपर पिनें
	387601	कार्बन पेपर
	38760210	यान्त्रिक प्रकार के टाइपराइटर के लिए टाइपराइटर रिब्बन
	387901	हाथ से नम्बर डालने की मशीन
	387903	पेंसिल शार्पनर
	387907	पेन होल्डर
औषधि और भेषजीय सैक्टर		
	31060101	पैरा एमीनो फिनोल (औद्योगिक ग्रेड)
	310628	पाइरजोलोन
	310650	बेंजिल बेन्जोएट
	310658	नियासिनेमाइड
	313125	पैरा-सिटेमोल
	31315801	पैरा-हाइड्रॉक्सी बेंजाइक एसिड से लेकर मेथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
	31315901	पैरा-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से लेकर ऐथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट

उत्पाद कोड	मद का नाम
31319501	पैरा-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से लेकर प्रोपिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
3131960	कैलिसियम ग्लुकोनेट
310126	एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल

अति लघु उद्यम

(ङ) अति लघु उद्यमों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है, चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

लघु उद्योग सेवा एवं व्यापार (उद्योग सम्बन्धी) उद्यम (एस एस एस बी ई)

(च) चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो, भूमि और भवन को छोड़कर उद्योग सम्बन्धी सेवाओं और व्यापार में 5 लाख रुपये तक नियत परिसम्पत्तियों में निवेश को 19 सितम्बर 2000 से 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। एस एस एस बी ई के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त गतिविधियों और जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं उन गतिविधियों की निदर्शी सूची नीचे क्रमश: सूची 'क' और सूची 'ख' में रूप में दी जा रही है—

सूची 'क'

मान्यता प्राप्त लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय (उद्योग सम्बन्धित) उद्यम (एसएसएसबीई) 1.1.2002 को यथास्थिति
(सन्दर्भ : 2(3)/91-ल.उ. बोर्ड दिनांक 30.9.91 क्र.स. 1 से 27 तथा सं. 4(5)/2002-ल.उ. बोर्ड दिनांक 18.2.2002 के अनुसार परिशोधित)।

1. विज्ञापन एजेंसियाँ
2. विपणन परामर्श
3. औद्योगिक परामर्श
4. किराया और पट्टा उपस्कर
5. टंकण केन्द्र
6. जेरोक्सिंग
7. औद्योगिक फोटोग्राफी
8. औद्योगिक अनुसन्धान और विकास प्रयोगशालाएँ
9. औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ
10. डेस्क टॉप पब्लिशिंग
11. इंटरनेट ब्राऊसिंग/साइबर कैफे लगाना
12. आटो रिपेयर, सर्विसेज़ और गैराज
13. परिवार नियोजन, सामाजिक वानिकी, ऊर्जा संरक्षण और वाणिज्यिक विज्ञापन पर वृत्त-चित्र
14. कच्चे माल, तैयार उत्पादों के परीक्षण में लगी प्रयोगशालाएँ
15. 'सेवा उद्योग' इलैक्ट्रानिक/इलैक्ट्रिक उपस्करों/उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत या परीक्षण में लगे उपक्रम अर्थात मापन/नियन्त्रण उपकरण, सभी तरह के वाहनों और किसी भी प्रकार की मशीनरी जिसमें टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वी.सी.आर., रेडियो, ट्रांसफॉर्मर, मोटरें, घड़ियाँ इत्यादि भी शामिल हैं।
16. लांड्री और ड्राई क्लीनिंग
17. एक्स-रे क्लीनिक
18. टेलरिंग
19. कृषि फार्म के उपकरणों की सेवा-मरम्मत जैसे टैक्ट्र, पम्प, रिंग, बोरिंग मशीन इत्यदि
20. वे ब्रिज
21. फोटोग्राफिक लैब
22. ब्लू प्रिंटिंग और ड्राइंग/डिजाइन सुविधाओं का विस्तार
23. आई.एस.डी./एस.टी.डी. बूथ
24. टेलिप्रिंटर या फैक्स सेवाएँ
25. उद्योग संघों द्वारा स्थापित उप-संविदा केन्द्र
26. स्वैच्छिक संघों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित ई.डी.पी. संस्थान
27. प्रसंस्करण प्रयोगशाला से लैस रंगीन और श्वेत एवं श्याम स्टूडियो
28. पहाड़ी क्षेत्रों में रज्जुमार्ग
29. केबल टीवी नेटवर्क का अधिष्ठापन और प्रचालन
30. नामाधिकार (फ्रेंचाइज़न) के अन्तर्गत ई.पी.ए.बी. एक्स
31. ब्यूटी पार्लर्स और क्रेचिज़
(विदेशी/भारतीय मार्केट तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर डिजाइन और ड्राफ्टिंग, डाटाबेसों का सृजन, जिन्हें इस कार्यालय के पत्र सं. 4(5)/2000-ल.उ. बोर्ड एवं नीति दिनांक 19.9.2000 के अनुबन्ध-I की प्रविष्टी 10 से 12 के अधीन एस. एस. बी. ई. के

रूप में पंजीकृत किया गया है, सूची से हटा दिया गया है; क्योंकि कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास और साफ्टवेयर सेवाओं को (जिनमें कम्प्यूटर ग्राफिक्स, इंजीनियरी डिजाइन, कम्प्यूटरीकृत डिजाइन और ड्राफ्टिंग भी शामिल हैं) इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 5(1)/2000-ल.उ. बोर्ड एवं नीति दिनांक 10.9.2001 के अधीन औद्योगिक गतिविधियों के रूप में मान्यता दी गई है, जो लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत की पात्र हैं।)

सूची 'ख'

वे गतिविधियाँ जो लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय (उद्योग सम्बन्धित) उद्यम (एसएसएसबीई) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है उनकी निदर्शी सूची

1. परिवहन
2. भंडारण (शीतागार के सिवाय जिसे लघु उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है)
3. फुटकर/थोक व्यापार प्रतिष्ठान
4. सामान्य व्यापारिक भंडार
5. औद्योगिक घटकों हेतु बिक्री केन्द्र
6. पैथोलोजिकल प्रयोगशालाओं सहित स्वास्थ्य सेवाएँ
7. विधिक सेवाएँ
8. शैक्षिक सेवाएँ
9. सामाजिक सेवाएँ
10. होटल

महिला उद्यम

(च) ऐसी लघु इकाई जहाँ एक अथवा एक से अधिक महिला उद्यमियों की वित्तीय हैसियत 51% से कम नहीं हैं।

शर्त : एक लघु उद्योग किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व के अधीन, नियंत्रित या सहायक उद्योग नहीं हो सकता है।

पंजीकरण प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और पंजीकरण प्रपत्रों को सरल बनाया गया है। सरल किए गए पंजीकरण प्रपत्रों में शामिल की गई प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

(i) अनन्तिम और स्थायी पंजीकरण के लिए अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।

(ii) (क) अनन्तिम पंजीकरण—

अनन्तिम पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र 2 प्रतियों में भरे जाएँगे। विधिवत भरी हुई पृष्ठांकित एक प्रति आवेदक को दी जाएगी दूसरी प्रति जिला उद्योग केन्द्र/पंजीकरण करने वाले अधिकारी के पास रिकार्ड के लिए रहेगी।

(ख) स्थायी पंजीकरण : स्थायी पंजीकरण के लिए प्रपत्र 3 प्रतियों में भरा जाएगा। विधिवत रूप से पृष्ठांकित एक प्रति आवेदक दी जाएगी दूसरी प्रति जिला उद्योग केन्द्र और पंजीकरण अधिकारी के पास रिकार्ड के लिए रहेगी और तीसरी प्रति निदेशक (उद्योग) को कम्प्यूटर में समेकित रिकार्ड रखने के लिए भेजी जाएगी।

(iii) दोनों प्रपत्र इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उनका कम्प्यूटरीकरण किया जा सके और उनकी रिपोर्टें बनाई जा सकें। पंजीकरण करने वाले अधिकारियों के द्वारा कोड भरे जाएँगे।

(iv) अनन्तिम और स्थायी पंजीकरण दोनों ही मामलों में विधिवत पृष्ठांकित भरा हुआ आवेदन पत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र का हिस्सा है। आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अत: इकाइयों को यह सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र बनाने के लिए प्रमाणन के साथ-साथ पूरा प्रपत्र रखा जाए।

(v) इकाइयों को विभिन्न क्षेणियों में अपनी स्थिति का निर्धारित स्थान पर उल्लेख करना होता है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अति लघु उद्यम के रूप में इकाई का वैधीकरण पांच साल बाद किया जाएगा। आनुषंगिक

औद्योगिक उपक्रमों सहित अन्य श्रेणियों के लिए स्थायी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

(vi) यह निर्णय किया गया है कि पंजीकरण करनेवाला अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के भीतर शत प्रतिशतता के आधार पर संयंत्र और मशीनरी में 40 लाख रुपए से अधिक के निवेश वाली सभी लघु इकाइयों का हर वर्ष दौरा करेगा। यह वार्षिक सर्वेक्षण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चिय किया जाएगा। दौरे के पश्चात पंजीकरण करनेवाला अधिकारी इकाई को यथावश्यक संयंत्र और मशीनरी में परिवर्तनों अथवा स्थान परिवर्तनों अथवा इकाई के संविधान में परिवर्तनों के सम्बन्ध में पृष्ठांकन लेने की सलाह देगा। यदि वार्षिक निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि किसी इकाई ने निर्धारित निवेश सीमा को पार कर लिया है, तो पंजीकरण प्राधिकारी तत्काल कार्रवाई करके उसका नाम पंजीकरण सूची से हटा देगा और ऐसी इकाई आरक्षित मदों पर विनिर्माण कर रही हो तो उसे औद्योगिक लाइसेंस अथवा अनारक्षित मद पर विनिर्माण कर रही हो तो एक औद्योगिक उद्यमिता (आई.ई.एम.) ज्ञापन लेने के लिए औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 में आवेदन करने की सलाह देगा।

(vii) अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय इकाई को शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है।

(viii) फार्म में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दर्शाई गई विनिर्माण/कार्यकलाप की मदों तथा इसके अलावा अन्य मद/कार्यकलाप जिसपर इकाई विनिर्माण कर रही है, के लिए मान्य होगा।

लघु उद्यमों के विकास पर अध्ययन दल

योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में 20 मई, 1999 को योजना आयोग द्वारा गठित लघु उद्योग विकास अध्ययन दल ने 13 जुलाई, 2000 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और मई, 2001 को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

नीतिगत मुद्दे

- त्रि-टियर परिभाषा

(i) अति लघु इकाई : 25 लाख रुपए तक का निवेश

(ii) लघु उद्योग इकाई : संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक।

(iii) मझोली इकाई : संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक।

- एस.एस.ई. के प्रोन्नयन और विकास को अधिशासित करते हुए एकल एकीकृत अधिनियम।
- मौजूदा उद्यमों के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए; इसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- चुनी हुई ऐसी कुछ मदों, जिनके निर्यात पर जोर दिया जाता है, को आरक्षण से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है।
- निर्यात और रोजगार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मदों की निवेश सीमा उपयुक्त तरीके से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय को शीघ्र पंजीकृत लघु उद्योगों की तीसरी गणना करनी चाहिए।
- लघु उद्यमों के लिए 2000 करोड़ रुपये के लगभग का आधारभूत संरचना विकास निधि बनाए जाने की आवश्यकता है।
- निर्यातोन्मुखी और हाई-टेक मदों के लिए लघु उद्योग इकाइयों में इक्विटी भागीदारी की वर्तमान सीमा को 24% से बढ़ाकर 49% तक किया जाना चाहिए।
- सरकार को साहसिक, प्रभावी और अर्थपूर्ण अति लघु क्षेत्र पैकेज तैयार करना चाहिए।
- बीमार इकाइयों के लिए सरकार को एक बार के समाधान के रूप में 'समाधान' योजना तैयार करनी चाहिए।

लघु उद्यमों के लिए वित्तीय और राजस्व उपाय :

- एस.एफ.सी. के लिए पुनः पूंजीकरण/पुनः निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए।
- राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों को पुनः सक्रिय बनाया जाए और इन समितियों के कार्य-क्षेत्र का सांविधिक समर्थन के साथ विस्तार किया जाए।
- लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित ऋण गारण्टी निधि योजना का 2500 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ विस्तार किया जाए।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण

- प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की जाती है जिसमें उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उनके संसाधनों की जानकारी हो।
- लघु उद्यमों के आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ब्याज की रियायती दर पर धन उपलब्ध कराना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना।

विपणन और निर्यात

- मूल्य अधिमान और खरीद अधिमान योजनाओं तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एकल प्वाइण्ट पंजीकरण योजना को सांविधिक समर्थन दिया जाना चाहिए।
- सरकार की कम से कम 33% खरीद अनिवार्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र से की जानी चाहिए और इस आशय की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में रखी जानी चाहिए।

डॉ. एस.पी. गुप्ता लघु उद्यम विकास अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

- सीमा-शुल्क छूट की सीमा 50 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए की गई है।

- मिश्रित ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है।
- एन.ई.एफ. योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की सीमा बढ़ाई गई है।
- 5 करोड़ रुपए की कार्यकारी पूँजी सीमा बढ़ाई गई है। (चुने हुए मदों के लिए)
- सम्भावित रूप से व्यवहार्य बीमार इकाइयों को पुन: सक्रिय बनाने के लिए स्थाई समिति का गठन किया गया है।
- आई.आई.डी. योजना के क्षेत्र और कार्य सीमा का विस्तार किया गया है।
- 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की वृद्धि करके ऋण गारण्टी योजना शुरू की गई है।
- कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए लघु उद्यमों को अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों/नामित एस.एफ.सी. द्वारा दिए गए ऋणों पर 12% की सहायता के साथ लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण युक्त पूँजी सहायता योजना शुरू की गई है।
- आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रत्येक लघु उद्योग उद्यम को 75,000 रुपए देने की मौजूदा योजना 10वीं योजना के अन्त तक जारी रखी जाए।
- वाणिज्य मंत्रालय की योजना के लगभग समान पैटर्न पर विपणन विकास योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।
- खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए एक नया व्यापक पैकेज घोषित किया गया है।
- लघु उद्योगों की तीसरी गणना का कार्य शुरू किया गया है।
- उद्योग से संबद्ध सेवा और व्यवसाय उद्यमों में मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा को 10 लाख रुपए करने के बारे में निवेश सीमा वृद्धि सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं।
- निरीक्षणों को युक्तिसंगत और सरल बनाने तथा क्षेत्र पर लागू पुराने कानूनों और विनियमों को हटाने के लिए सुझाव/सिफारिश देने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव के अधीन एक दल गठित किया गया है।
- एस.एफ.सी. को पुन: सक्रिय बनाने/पुनर्निर्माण के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सम्बन्धितों को कार्यकारी पूंजी के रूप में 20% अनुमानित टर्नओवर के प्रावधान के बारे में पुन: अनुदेश जारी किए हैं।
- सभी सम्बन्धितों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार करने के आदेश जारी किए गए।
- भारतीय रिजर्व बैंकों को लघु उद्योगों से खरीद के सम्बन्ध में विशेष रूप से भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए बड़े ऋणियों को कुल सीमाओं के उप आबंटन के प्रश्न के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- ऐसी एसोसिएशनों के लिए, जो परीक्षण प्रयोग-शालाओं के बनाती और चलाती हैं, प्रतिपूर्ति के आधार पर एक बार दिए जाने वाले 50% पूंजी अनुदान के अन्तिम रूप दिया गया है।
- भारत और विदेश में अनुसंधान और विकास संस्थाओं को उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में एन एस आई सी वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. टी ई सी एच एस एच ओ डब्ल्यू आई एन डी आई ए . सी ओ एम) पर सार संकलित डाला गया, और इसे उद्योग एसोसिएशनों के बीच परिचालन के लिए संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
- एन पी आर आई के संदर्भ में समूह विकास के लिए एक योजनागत योजना तैयार की गई है।
- विधि मंत्रालय को सीमित भागीदारी अधिनियम के बारे में उपयुक्त कानून बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।